



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26122024-259632
CG-DL-E-26122024-259632

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 722]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 26, 2024/पौष 5, 1946

No. 722]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 26, 2024/PAUSHA 5, 1946

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2024

सं. 28/2024- सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 784(अ).—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य, जापान, कोरिया जनवादी गणराज्य, ताईवान और वियतनाम (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित “डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स” (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तुओं से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के उप शीर्षक 8442 50 और टैरिफ मद 3701 30 00, 3704 00 90, 3705 00 00, 7606 11 90, 7606 91 90 या 7606 92 90 के अंतर्गत आती है, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपने अंतिम निष्कर्षों में, जिसे अधिसूचना संख्या 7/20/2023-डीजीटीआर, दिनांक 28 सितम्बर, 2024 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड I में प्रकाशित किया गया था, के तहत अन्य बातों के साथ-साथ इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि लागू प्रतिपाटन शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में डंपिंग जारी रहने और इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचने की

संभावना है, और विषयगत देशों में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना जारी रखने की सिफारिश की है;

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18, 20 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 21/2020-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 29 जुलाई, 2020 जिसे सा.का.नि. 472 (अ), दिनांक 29 जुलाई, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा न की गई बातों को छोड़ते हुए, केन्द्र सरकार, उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्ष पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उप शीर्षक या टैरिफ मदों के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलतः उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट निर्माताओं द्वारा निर्मित है तथा भारत में आयातित है पर कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से, कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) में की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा –

सारणी

क्र.सं.	उप शीर्षक/टैरिफ मद	माल का विवरण	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातक देश	निर्माता	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	8442 50, 3701 3000, 3704 0090, 3705 0000, 7606 1190, 7606 9190, 7606 9290	डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स*	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	लकी हुआगुआंग ग्राफिक्स कंपनी लिमिटेड	0.55	वर्ग मीटर	यूएसडी
2.	-वही-	डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	कोडक चाइना ग्राफिक कम्युनिकेशंस कंपनी लिमिटेड	शून्य	वर्ग मीटर	यूएसडी
3.	-वही-	डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	फुजीफिल्म प्रिंटिंग प्लेट (चीन) कं, लिमिटेड	शून्य	वर्ग मीटर	यूएसडी
4.	-वही-	डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	अनहुई स्ट्रांग स्टेट न्यू मटेरियल्स कं. लिमिटेड	0.60	वर्ग मीटर	यूएसडी
5.	-वही-	डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) के अलावा कोई भी निर्माता	0.77	वर्ग मीटर	यूएसडी
6.	-वही-	डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	कोई अन्य देश	चीन जन.गण.	कोई भी निर्माता	0.77	वर्ग मीटर	यूएसडी

7.	-वही-	डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	कोरिया गण.जन.	कोरिया गण.जन. सहित कोई भी देश	जेडल सी एंड पी कंपनी लिमिटेड	0.15	वर्ग मीटर	यूएसडी
8.	-वही-	डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	कोरिया गण.जन.	कोरिया गण.जन. सहित कोई भी देश	क्रमांक (7) के अलावा कोई भी निर्माता	0.37	वर्ग मीटर	यूएसडी
9.	-वही-	डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	कोई अन्य देश	कोरिया गण.जन.	कोई भी निर्माता	0.37	वर्ग मीटर	यूएसडी
10.	-वही-	डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	जापान	जापान सहित कोई भी देश	फुजीफिल्म कॉर्पोरेशन	0.13	वर्ग मीटर	यूएसडी
11.	-वही-	डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	जापान	जापान सहित कोई भी देश	क्रमांक (10) के अलावा कोई भी निर्माता	0.27	वर्ग मीटर	यूएसडी
12.	-वही-	डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	कोई अन्य देश	जापान	कोई भी निर्माता	0.27	वर्ग मीटर	यूएसडी
13.	-वही-	डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	ताइवान	ताइवान सहित कोई भी देश	कोई भी निर्माता	0.41	वर्ग मीटर	यूएसडी
14.	-वही-	डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	कोई अन्य देश	ताइवान	कोई भी निर्माता	0.41	वर्ग मीटर	यूएसडी
15.	-वही-	डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	वियतनाम	वियतनाम सहित कोई भी देश	कोई भी निर्माता	0.60	वर्ग मीटर	यूएसडी
16.	-वही-	डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	कोई अन्य देश	वियतनाम	कोई भी निर्माता	0.60	वर्ग मीटर	यूएसडी

*क्रेडिट कार्ड, सुरक्षा कार्ड आदि जैसे विशेष सामग्रियों पर मुद्रण के लिए उपयोग किए जाने वाले जलरहित सीटीपी प्लेटों को छोड़कर, कागज पर नहीं

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपादन शुल्क सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अधिकतम पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए ऐसे प्रतिपादन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. 190354/185/2024-टीआरयू]

अम्रीता टाइटस, उप-सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 2024

No. 28/2024-Customs (ADD)

G.S.R. 784(E).—Whereas, in the matter of “Digital Offset Printing Plates” (hereinafter referred to as the subject goods) falling under sub-headings 8442 50 or tariff items 3701 30 00, 3704 00 90, 3705 00 00, 7606 11 90, 7606 91 90 or 7606 92 90 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in or exported from China PR, Japan, Korea RP, Vietnam, and Taiwan (hereinafter referred to as the subject countries), and imported into India, the designated authority in its final findings, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, section 1 *vide* notification No. 7/20/2023-DGTR, dated the 28th September, 2024 has *inter alia* come to the conclusion that there is a likelihood of continuation of dumping and consequent injury to the domestic industry in case of cessation of anti-dumping duty in force, and has recommended continued imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act read with rules 18, 20 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 and in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 21/2020-Customs (ADD), dated the 29th July, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 472(E), dated the 29th July, 2020, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under sub-heading or tariff items of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount specified in corresponding entry in column (7), in the currency as specified in the corresponding entry in column (9) and as per the unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (8) of the said Table, namely:—

TABLE

S.No.	Sub-heading/Tariff Item	Description of Goods	Country of origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	8442 50, 3701 30 00, 3704 00 90, 3705 00 00, 7606 11 90, 7606 91 90, 7606 92 90	Digital Offset Printing Plates*	China PR	Any country including China PR	Lucky Huaguang Graphics Co. Ltd.	0.55	SQM	USD
2	-do-	Digital Offset Printing Plates	China PR	Any country including China PR	Kodak China Graphic Communications Co. Ltd.	Nil	SQM	USD
3	-do-	Digital Offset Printing Plates	China PR	Any country including China PR	Fujifilm Printing Plate (China) Co. Ltd.	Nil	SQM	USD
4	-do-	Digital Offset Printing Plates	China PR	Any country including China PR	Anhui Strong State New Materials Co., Ltd.	0.60	SQM	USD
5	-do-	Digital Offset Printing Plates	China PR	Any country including China PR	Any producer other than at Serial Number (1) to (4) above.	0.77	SQM	USD
6	-do-	Digital Offset Printing Plates	Any other country	China PR	Any producer	0.77	SQM	USD
7	-do-	Digital Offset Printing Plates	Korea RP	Any country including Korea RP	Jeil C&P Co. Ltd.	0.15	SQM	USD

8	-do-	Digital Offset Printing Plates	Korea RP	Any country including Korea RP	Any producer other than at Serial Number (7)	0.37	SQM	USD
9	-do-	Digital Offset Printing Plates	Any other country	Korea RP	Any producer	0.37	SQM	USD
10	-do-	Digital Offset Printing Plates	Japan	Any country including Japan	Fujifilm Corporation	0.13	SQM	USD
11	-do-	Digital Offset Printing Plates	Japan	Any country including Japan	Any producer other than at Serial Number (10)	0.27	SQM	USD
12	-do-	Digital Offset Printing Plates	Any other country	Japan	Any producer	0.27	SQM	USD
13	-do-	Digital Offset Printing Plates	Taiwan	Any country including Taiwan	Any producer	0.41	SQM	USD
14	-do-	Digital Offset Printing Plates	Any other country	Taiwan	Any producer	0.41	SQM	USD
15	-do-	Digital Offset Printing Plates	Vietnam	Any country including Vietnam	Any producer	0.60	SQM	USD
16	-do-	Digital Offset Printing Plates	Any other country	Vietnam	Any producer	0.60	SQM	USD

**Excluding waterless CtP Plates used for printing on specialised materials such as credit card, security card etc., and not on paper.*

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless revoked, superseded, or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

Explanation. – For the purposes of this notification, the rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Act.

[F. No. 190354/185/2024-TRU]

AMREETA TITUS, Dy. Secy.